


नवाभारत



एक नजर में



मुंबई हाईकोर्ट में बम धमकी से हड़कंप

मुंबई हाईकोर्ट प्रशासन को शुक्रवार दोपहर बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला, जिससे अफरा-तफरी मच गई और सुनवाई स्थगित करनी पड़ी. धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर को खाली करा लिया गया और बम निरोधक दस्ते और डींग स्कॉड की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया. हालांकि, घंटों की कड़ी जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. एक अधिकारी ने बताया कि धमकी भरा ईमेल बॉम्बे हाईकोर्ट के आधिकारिक ईमेल पते पर आया था, जिसमें इमारत में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर सभी न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और आगंतुकों को परिसर खाली करने को कहा गया. अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में शहर के कई प्रमुख प्रतिष्ठानों और स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियाँ मिली हैं.

2.16 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 2.16 करोड़ रुपये की भाग विदेश गयी के मुख्य आरोपी रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आईजीआई हवाई अड्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 2024 से फरार चल रहा था और विदेश भाग गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमृता गुलोत ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी रोहित शर्मा (44) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेम एप्लिकेशन का अध्यक्ष है। उस पर आरोप है कि उसने आइस ड्रीम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को औद्योगिक भाग परिवर्तन में निवेश के लिए झूठे वादों से फंसाया। उसने खेती का लाइसेंस और सलवाई का भरोसा दिलाकर कंपनी से लगभग 2.16 करोड़ रुपये वसूले। जो में पता चला कि आरोपी ने यह रकम अपने निजी खातों और उन कंपनियों में ट्रांसफर कर दी जिन पर उसका नियंत्रण था। बाद में वह किसी भी तरह का कच्चा माल (भाग) उपलब्ध नहीं करा सका। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी

भारत से डर रही दुनिया

टैरिफ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान

नागपुर, 12 सितंबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि यह टैरिफ भारत के बढ़ते प्रभाव से उपजे डर का नतीजा है. भागवत ने कहा, दुनिया में लोगों को डर लगता है कि भारत अगर बढ़ा होगा तो हमारा क्या होगा? इसलिए टैरिफ लगा दो. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें चाहिए, मुझे चाहिए, यही व्यक्ति के झगड़े से राष्ट्र झगड़े का कारण होता है. भागवत ने अपने संबोधन में 'मैं के बजाय हम की भावना अपनाने पर



जोर दिया. उन्होंने कहा कि जब इसान यह समझ जाएगा कि मैं-मेरा नहीं बल्कि हम-हमारा है, तब सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. आपको बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने भारत पर रिकॉर्ड स्तर के टैरिफ लगाए हैं.

जुलाई 2025 में, ट्रंप प्रशासन ने भारत के उच्च टैरिफ और व्यापार घाटे को जवाब देने के लिए रिसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत पहला टैरिफ लगाया था. इसके बाद अगस्त 2025 में दूसरा टैरिफ लगाया गया, जिसमें कहा गया कि भारत

रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को फंड दे रहा है. इन फैसलों के बाद, भारतीय निर्यातों पर टैरिफ की दर 50% तक पहुंच गई, जो अमेरिका के किसी भी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ हैं.

राहुल और यूपी के मंत्री भिड़े

रायबरेली. उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। यह बहस राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के बीच हुई। राहुल 10 और 11 सितंबर दो दिन के रायबरेली दौरे पर थे। इस दौरान उनकी योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ बहस हो गई थी।



2018 तक कांग्रेस का हिस्सा थे दिनेश प्रताप सिंह

दिनेश प्रताप सिंह 2018 तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। उन्हें दो बार 2010 और 2016 में यूपी विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। हालांकि, 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने पाला बदल लिया। 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 में इसी सीट पर उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी।

गांधी के साथ दिनेश प्रताप सिंह के साथ बहस करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक बैठक में दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर चर्चा चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने एक मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे पहले से पचना चाहिए था। इसी पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि आप अध्यक्ष जरूर हैं,

लेकिन मैं आपको हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप तो खुद स्पीकर की बात भी नहीं मानते। देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। बैठक में मौजूद अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी हेरान रह गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारतीय मूल के व्यक्ति का सिर काटा

- अमेरिका में पत्नी-बेटे के सामने की हत्या
- टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ था



शुरू हुआ जब चंद्रमौली नाग मल्लैया ने अपने सहकर्मी, 37 साल के योर्डानिस

कोबोस-मार्टिनेज को टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। बहस बढ़ गई और मार्टिनेज ने चंद्रमौली पर कई बार चाकू से हमला किया। चंद्रमौली मोटल के पार्किंग लॉट में मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे, लेकिन योर्डानिस ने उनका पीछा किया और मानचेट (चौड़ा और भारी ब्लेड वाला चाकू) से हमला किया।

सीबीआई ने चार को लिया रिमांड पर

80 हजार की रिश्त लेते हुए किया था गिरफ्तार

जबलपुर, 12 सितंबर. सीबीआई ने सागर, मध्य प्रदेश में सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) के तीन अधिकारियों और एक बिचौलिया को 80,000 रुपये की रिश्त लेते हुए गिरफ्तार किया है। तीनों को सीबीआई जबलपुर लेकर आ गई जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया पूछताछ के लिए चारों को 15 सितंबर तक रिमांड में लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शिकायतकर्ता से 80,000 रुपये

की रिश्त लेते हुए सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस), सागर, मध्य प्रदेश के तीन अधिकारियों और एक बिचौलिया सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने एमईएस, सागर (मप्र) के आरोपी गैरिसन इंजीनियर (जीई), सहायक गैरिसन इंजीनियर (एजीई) और एक बिचौलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी लोक सेवकों ने ठेकेदार को दिए गए अनुबंध के तहत मरम्मत और रखरखाव कार्य करने के लिए अनुबंध स्थल उपलब्ध कराने के लिए बिचौलिया के माध्यम से अनुबंध मूल्य का 2 प्रतिशत

1,00,000 रुपये) रिश्त की मांग की. बातचीत के बाद, आरोपी शिकायतकर्ता से अनुबंध मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर से 80,000 रुपये की रिश्त लेने पर सहमत हो गए. सीबीआई ने जाल बिछाया और चारों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 80,000 रुपये की रिश्त लेते री हाथों पकड़ लिया था बाद में, उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, जबलपुर को अदालत में पेश किया गया जहां से 15 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है. आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई.

डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों में पांच महिलाओं ने बनाई जगह

एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2024 में देवांशु रहे टॉपर



नव भारत न्यूज इंदौर. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि कि एमपीपीएससी ने शुक्रवार शाम राज्य सेवा परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया. आयोग ने कुल 110 पदों में से 87 प्रतिशत पदों की पदवार सूची जारी की है, जबकि 13 प्रतिशत पद अभी होल्ड पर रखे गए हैं, इनमें टॉप 13 में 5 महिलाएं शामिल हैं.

एमपीपीएससी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 21 से 26 अक्टूबर तक किया था. इस परीक्षा में करीब 3,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे. जिसमें कुल 110 पदों में से 87 फीसदी फॉर्मूले के तहत 102 पदों पर 306 उम्मीदवार सफल रहे. वहीं 13 फीसदी प्रोविजनल रिजल्ट कैटेगरी में 8 पद रखे गए, जिनमें 33 उम्मीदवार चयनित हुए, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों में 8 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार सफल हुए. इंटरव्यू के लिए 339 उम्मीदवारों का चयन किया था.

टॉप स्कोरर्स
देवांशु शिवहरे - 953 अंक, ऋषभ अवस्थी - 945.50 अंक, अंकित - 942 अंक, शुभम - 913 अंक, हर्षिता दवे - 893.75 अंक, रुचि जाट - 891 अंक, नम्रता जैन - 890 अंक, गिरराज परिहार - 859.75 अंक, स्वर्णा दिवान - 833.75 अंक, विक्रमदेव सरयम - 765.50 अंक, शिवानी सिरमचे - 761.50 अंक, जतिन ठाकुर - 759.75 अंक, हिमांशु सोनी - 716 अंक पर रहे.

आरक्षण की पृष्ठभूमि: साल 2019 से पहले मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 14 फीसदी, स्त्र को 20 फीसदी और स्त्र को 16 फीसदी आरक्षण मिलता था, जबकि बाकी 50 फीसदी पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरे जाते थे.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया नोटिस

राजनीतिक दलों की पारदर्शिता विवाद

नई दिल्ली, 12 सितंबर (वार्ता). उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए व्यापक नियम बनाने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस

जारी किया. साथ ही मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति सूर्य कान्त और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर संबंधित आदेश पारित किया. पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा, हम नोटिस जारी करेंगे लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि हमने राजनीतिक दलों को पक्षकार

नहीं बनाया है. ये कहेंगे कि आप (याचिकाकर्ता) उन्हें विनियमित करने के लिए कह रहे हैं और ये यहाँ नहीं है. याचिका में दावा किया गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक स्थिति और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए के तहत वैधानिक दलों के आंतरिक कामकाज, पारदर्शिता या जवाबदेही को विनियमित करने के लिए कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है.

10 प्रतिशत आरक्षण देने को चुनौती

राज्य शासन सहित अन्य से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में स्टेट नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए तय किए गए नियम संशोधन को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य से

जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है। यह मामला भोपाल निवासी जिया जैन व आकांक्षा व अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता सचिन जैन ने पक्ष रखा। आवेदकों की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट को एकलपीठ ने पिछले साल दिए आदेश में स्पष्ट किया था कि ईडब्ल्यूएस कोटा सिर्फ अनारक्षित (सामान्य) सीटों से निकाला जाना चाहिए न कि कुल सीटों से।

चालीं कर्क की हत्या का संदिग्ध पुलिस हिरासत में

वाशिंगटन, 12 सितंबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके करीबी सहयोगी चालीं कर्क की हत्या करने वाले संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर ने खुद ही स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूज एजेंसी को बताया, मुझे पूरा यकीन है कि वह हिरासत में है. उसके किसी बेहद करीबी ने उसे पुलिस के हवाले किया है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध अपनी इच्छा से पुलिस मुख्यालय पहुंचा था. यूटा में कॉलेज कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चालीं कर्क

की बुधवार को यूटा वैली विश्वविद्यालय परिसर के प्रांगण में एक कॉलेज कार्यक्रम में बोलते समय दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हमला सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई देता है, जिसमें कर्क माइक्रोफोन पकड़े बोल रहे थे, तभी उन्हें गोली लगी थी. इस हत्या ने अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर एक बार फिर तिकता बढ़ा दी है. इस मामले में एफबीआई ने गुरुवार देर शाम एक संदिग्ध को दो तस्वीरें जारी कर जनता से जानकारी देने की अपील की थी. कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बताया कि घटनास्थल के पास जंगल में एक .30 कैलिबर बोल्ट-एक्शन राइफल भी मिली है.

चालीं कर्क के हत्यारे को फांसी की सजा देंगे: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूढ़िवादी एक्टिविस्ट चालीं कर्क की हत्या के एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हत्यारा हमारे हाथ लग गया है. संदिग्ध को जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे पकड़वाया है. इसी के साथ ही ट्रंप ने अपने कट्टर समर्थक की हत्या को एक बार फिर जन्म करार दिया है. ट्रंप ने कहा कि फिलहाल संदिग्ध पुलिस मुख्यालय में है. मुझे उम्मीद है कि उसे मौत की सजा मिलेगी.

MARUTI SUZUKI ARENA

उत्सव के जल्दी आगमन के साथ

कम हुए GST व CESS 45% → 40%
GST + CESS GST

अभी बुक करें और नई कम कीमत पर डिलिवरी लें

अतिरिक्त बुकिंग ऑफर

₹10 000* मूल्य तक का सोना

20 सितंबर '25 तक मान्य



6 Airbags | ESP* | ABS with EBD | Hill Hold Control* | Reverse Parking Sensors
3-Point ELR Seat Belts | Seat Belt Reminder | 3 Years or 100 000 km Warranty**



SPECIAL OFFERS UP TO

BREZZA ₹35 000*



SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at 1800-102-1800

Applicable T&C are available at the dealership. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 30th September, 2025. **Hill hold control feature available in selected models and models only. ESP is the registered trademark of Mercedes-Benz Group AG. Offer valid for limited period. For further details please contact nearest dealer. Offers & price may vary as per model/variant. Prices subject to applicable GST rates as notified by the Government. *Gold offer can be redeemed as cash discount at the dealerships.